न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/61

जमना लाल आयु 80 वर्ष श्री किशना जी जाति बलाई निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. लटूर पुत्र घांसी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. श्रीमती दाखां पत्नी स्व0 श्री लटूर लाल जी जाति बलाई निवासी गोपालपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   1/2. हंसराज आत्मज स्व0 लटूर लाल जाति बलाई ।
   1/3. धनप्रकाश आत्र स्व0 लटूर लाल जी जाति बलाई ।
   1/4. मुलकराज आत्मज स्व0 श्री लटूर लाल जाति बलाई ।
   1/5. शोभाराम आत्मज स्व0 श्री लटूर लाल जाति बलाई ।
   1/6. मुकुट बिहारी आत्मज स्व0 लटूर लाल जी जाति बलाई निवासीगण गोपालपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. नन्दी पुत्री घांसी पत्नी चन्द्रजी जाति बलाई हाल निवासी जागमूंड तहसील एवं जिला बून्दी
3. दुर्गालाल आत्मज कान्हा जाति बलाई निवासी केवल नगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
4. हेमराज आत्मज कान्हा जी जाति बलाई निवासी छावनी राचमन्द्रपुरा कोटा ।
5. बृजमोहन आत्मज कान्हा जी जाति बलाई निवासी नई बस्ती मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. अनोख बाई पुत्री कान्हा जी जाति बलाई पत्नी श्री रामकल्याण जी निवासी ढोटी तहसील सांगोद जिला कोटा ।
7. भूरा बाई पुत्री कान्हा जाति बलाई धर्म पत्नी मथुरा लाल निवासी खुसालीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
8. काली बाई आत्मज कान्हा जाति बलाई धर्मपत्नी नन्दकिशोर जी निवासी ग्राम हिंगोनिया तहसील सांगोद जिला कोटा ।
9. मंजू बाई आत्मज कान्हा जी जाति बलाई पत्नी लटूर निवीस ग्राम कुरी तहसील खानपुर जिला झालावाड ।
10. हजारी लाल आत्मज स्व0 किशना जी जाति बलाई निवासी ग्राम किशोरपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
11. कजोडी पुत्री स्व0 श्री किशना जी पत्नी लाला जी जाति बलाई निवासी दरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
12. कस्तूरी पुत्री स्व0 किशना जी जाति बलाई पत्नी रामचन्द्र जी निवासी सुहाणा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

13. केशर पुत्री स्व0 श्री किशना जी जाति बलाई पत्नी देवकरण निवासी ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
14. भूली बाई पुत्री स्व0 किशना जी जाति बलाई पत्नी लटूर लाल निवासी म0 नं0 19 चम्बल कॉलोनी, माला रोड कोटा ।
15. दाखां पुत्री स्व0 किशना जी जाति बलाई पत्नी श्री बिरधीलाल जी निवासी ग्राम खुशालीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
16. कांति पुत्री स्व0 किशना जी जाति बलाई पत्नी स्व0 मोडूलाल जी निवासी ग्राम रेलगॉव तहसील दीगोद जिला कोटा कोटा ।
17. संजय पुत्र रमेश चन्द जाति मेहन द्वारा रिद्वि–सिद्धि कोलोनाईजर 214 केशवपुरा, रंगबाडी, कोटा ।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
19. भूमि अवाप्ति अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी, कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रघुवीर सिंह राठौड, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बद्री प्रकाश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 9 की ओर से ।
3. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 11, 12, 14 एवं 15 की ओर से
4. श्री दयाराम सैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 17 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 13.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपाल मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि आपसी समझौते के आधार पर वर्तमान में स्व0 घांसी जी के वारिस ग्राम गोपालपुरा की खसरा नम्बर 96 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 289 रकबा 0.20 हैक्टर तथा ग्राम बीलखेडी की खसरा नम्बर 05 रकबा 1.76 हैक्टर पर काबिज हैं । स्व0 किशना जी के वारिस ग्राम गोपालपुरा खसरा नम्बर 106 रकबा 0.21 हैक्टर खसरा नम्बर 120 रकबा 1.42 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 411 रकबा 0.88 हैक्टर पर काबिज हैं स्व0 कान्हा जी के वारिस ग्राम गोपालपुरा की खसरा नम्बर 97 रकबा 0.14 हैक्टर व खसरा नम्बर 448 रकबा 2.66 हैक्टर पर काबिज है । प्रार्थी अपने हिस्से में आई आराजी खसरा नम्बर 120 रकबा 1.42 हैक्टर पर काबिज काश्त है । उक्त आराजी में से 0.29 हैक्टर वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 में निकलने के कारण उक्त आराजी प्रार्थी के कब्जे से अधिग्रहण की गई है । उक्त आराजी का मुआवजा मिलने व

कार्यवाही में प्रार्थी की आपत्ति के बावजूद भी भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा मुआवजा वितरण कर दिया गया है जिससे प्रार्थी को क्षति कारित हुई है । प्रतिवादी उक्त आराजी में उनका नाम होने से वह उक्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है ।

3. अतः ताफैसला वाद प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह उक्त वाद में आपसी समझौते के आधार पर वर्तमान में स्व0 घांसी जी के वरिस ग्राम गोपालपुरा की खसरा नम्बर 96 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 289 रकबा 0.20 हैक्अर तथा ग्रामी बीलखेडी की खसरा नम्बर 05 रकबा 1.76 हैक्टर पर काबिज है । स्व0 किशना जी के वारिस ग्राम गोपालपुरा खसरा नम्बर 106 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 120 रकबा 1.42 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 411 रकबा 0.88 हैक्टर पर काबिज है । स्व0 कान्हा जी के वारिस ग्राम गोपालपुरा की खसरा नम्बर 97 रकबा 0.14 हैक्टर व खसरा नम्बर 448 रकबा 2.66 हैक्टर पर काबिज है उक्त आराजी को प्रतिवादी किसी प्रकार रहन, बय, हिब्बा, वसीयतन नहीं करे उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.06.2017 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मूल वाद का निर्णय होने से प्रार्थना पत्र सारहीन होना बताते हुए खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.06.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में पक्षकारान की अनुपस्थिति में दिनांक 16.06.2017 को मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री प्रदान कर अंतिम डिक्री पारित करने हेतु पक्षकारान की उपस्थिति में तहसील से मौके की व कब्जे की रिपोर्ट मंगवाई है इस प्रकार वाद का अंतिम निस्तारण नहीं हुआ था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को नजर अन्दाज करते हुए वाद का निस्तारण करने में त्रुटि की है । उक्त वाद अभी अंतिम डिक्री पारित करने में विचाराधीन है तथा वाद का अंतिम निस्तारण नहीं हुआ है । खसरा नम्बर 120 में से 0.29 हैक्टर आराजी पूर्व में राजमार्ग के लिये अधिग्रहण की गई है जिसके मुआवजा के सम्बन्ध में नोटिस जारी होने पर प्रार्थी द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई थी उक्त आराजी अवाप्त होने के गाद प्रार्थी के कब्जे में बची शेष आराजी 1.13 हैक्टर को अवाप्त करने हेतु भारत सरकार की ओर से राज0 पत्रिका में दिनांक 11.02.2019 को विज्ञप्ति जारी की गई है । उक्त आराजी प्रार्थी के कब्जे की आराजी है जिस पर वह काबिज काश्त है । यदि मुआवजा राशि अपीलान्ट को नहीं देकर अपीलान्ट के साथ रेस्पोडेन्ट को भी दी गई तो अपीलान्ट को भारी क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई । उक्त अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी अपने अधिवक्ता के साथ अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.02.2018 को मुकदमे के सम्बन्ध में पेश होने पर तथा वकील साहब द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील

न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारों का बंटवारे का दावा लम्बित था इसमें धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था । प्रार्थना पत्र पर दिनांक 25.01.2017 को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई थी । दिनांक 16.06.2017 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की है और विभाजन रिपोर्ट तलब की गई और उसी दिन बिना वादी की जानकारी के अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की गई । प्रकरण का अंतिम निस्तारण नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में अस्थायी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना त्रुटिपूर्ण है । खसरा नम्बर 120 में से 0.29 हैक्टर आराजी पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहित की गई थी । प्रार्थी के कब्जे में बची हुई शेष 1.14 हैक्टर आराजी को अवाप्त करने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है यदि आराजी को सहखाते की मानकार रेस्पोडेन्टगण को भी मुआवजा दिया जाता है तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि कि ताफैसला दावा वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे । रेस्पोडेन्ट क्रम 19 को पाबन्द किया जावे कि ताफैसला दावा खसरा नम्बर 120 की रकबा 1.13 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 106 की 0.21 हैक्टर आराजी का मुआवजा का भुगतान रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 17 को नहीं करें ।

9. विद्धान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 9 ने कथन किया कि प्रारम्भिक डिक्री पारित हो चुकी है । ऐसी स्थिति में धारा 212 का प्रार्थना पत्र सारहीन हो चुका है । आराजी संयुक्त खातेदारी की है किसी एक पक्षकार को भुगतान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाक 16.06.2017 बहाल रखा जावे ।

10. विद्धान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम 11, 12, 14 एवं 15 ने अपील स्वीकार करने में अनापत्ति की है।

11. रेस्पोडेन्ट क्रम 17 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि बंटवारा रिपोर्ट आ चुकी है । अपीलान्ट अकारण प्रकरण को लम्बा करना चाहते हैं । इनके द्वारा आराजी को विक्रय किया जा चुका है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.06.2017 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में दिनांक 25.01.2017 को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई थी । उसके उपरान्त दिनांक 16.06.2017 की आदेशिका के अनुसार मूल वाद में निर्णय होने के आधार पर प्रार्थना पत्र को सारहीन अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया है ।

14. अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा मूल दावे की आदेशिका की नकलें पेश की गई जिसके अनुसार दिनांक 16.06.2017 को लोक अदालत में अंतिम डिक्री जारी नहीं हुई वरन् प्रारम्भिक डिक्री जारी हुई है । प्रारम्भिक डिक्री जारी होने के आधार पर मूल दावे का निस्तारण नहीं माना जा सकता वरन् मूल दावे का अंतिम डिक्री जारी होने के साथ निस्तारण होता है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि दिनांक 16.06.2017 को मूल दावे का निर्णय हो चुका है इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है, त्रुटिपूर्ण है । विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री विधिक रूप से जारी होना अभी शेष है । ऐसी स्थिति में हम वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखना आवश्यक समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.06.2017 निरस्त किया जाता है । रेस्पोडेन्टगण क्रम 1 से 17 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखें । रेस्पोडेन्ट क्रम 19 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला दावा वादग्रस्त आराजी के मुआवजे राशि का भुगतान किसी भी पक्षकार को नहीं करें ।

16. निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13.8.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा